

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 2017

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से संशोधित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 निर्गत किया जा चुका है।

2- वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन विषयक 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत केन्द्र सरकार के संकल्प संख्या-38/37/2016-P&PW(A), दिनांक 04-08-2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प के संबंध में संस्तुति प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों के क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2016- P&PW(A), दिनांक 12 मई, 2017 निर्गत किया गया है।

3- केन्द्र सरकार के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया गया था, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01-01-2016 को

--2--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के पूर्व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04-08-2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 01-01-2016 के पहले की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12-05-2017 के कार्यालय-ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01-01-2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनांक 01-01-2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी।

4- उत्तर प्रदेश वेतन समिति, 2016 द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि केन्द्र सरकार के संकल्प दिनांक 04-08-2016 में उल्लिखित प्रथम विकल्प पर केन्द्र सरकार का निर्णय आने पर, राज्य सरकार द्वारा तदनुसार आदेश निर्गत किये जाएं।

5- अतः केन्द्र सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12 मई, 2017 में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश सरकार के वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन हेतु व्यवस्था कराये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 में दी गयी रीति के अनुसार वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के संशोधन के साथ-साथ आगे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार भी पेंशन का संशोधन किया जायेगा और दोनों रीतियों से पेंशन संशोधन किये जाने पर दिनांक 01-01-2016 से, संबंधित पेंशनर को पेंशन की वह धनराशि अनुमन्य होगी जो अधिक हो।

7- इस व्यवस्था के अन्तर्गत, दिनांक 01-01-2016 के पहले सेवानिवृत्त/मृत उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित वेतनमान में आहरित अन्तिम वेतन का प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण उस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के उपरान्त जब-जब केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया, तब-तब प्रकल्पित रूप से किया जायेगा। इस प्रकार, दिनांक 01-01-2016 को निर्धारित होने वाले प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन से अधिक होती है तो वह राशि उसे दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी अन्यथा शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 की व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन यथावत् प्राप्त होती रहेगी।

8- ऐसे मामले जिनमें बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, उनमें बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण भी उपर्युक्त प्रक्रियानुसार किया जायेगा तथा जिस तिथि से सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो उस तिथि से सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

9- ऐसे पेंशनर्स जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों में स्थायी संविलियन के उपरान्त राजकीय सेवा के लिए पृथक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सरकारी सेवा के लिए स्वीकृत पेंशन का पुनरीक्षण भी उपर्युक्त प्रक्रियानुसार किया जायेगा। ऐसे मामले जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय में स्थायी रूप से संविलियन की शर्तों में राज्य सरकार के नियमों के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हो, उन मामलों में पारिवारिक पेंशन का भी पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

10- चूँकि समेकित पेंशन की धनराशि में राशिकृत पेंशन का अंश सम्मिलित होता है, अतः उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन में से राशिकृत पेंशन की धनराशि घटाते हुए मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

11- इस शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रकल्पित रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2016 के पूर्व की अवधि के लिए कोई एरियर देय नहीं होगा। इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर दिनांक 01-01-2016 से एरियर का भुगतान, शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार किया जायेगा। माह जनवरी, 2017 से देय अवशेष का

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भुगतान भी शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 के अनुसार किया जायेगा तथा माह जुलाई, 2017 से संशोधित पेंशन का भुगतान माह अगस्त, 2017 से देय होगा।

12- प्रकल्पित आधार पर भिन्न-भिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा करते हुए पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को संशोधित पेंशन भुगतानादेश (पी0पी0ओ0) निर्गत किये जाने हेतु वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश प्रेषित किये जायेंगे। नया भुगतानादेश उसी पी0पी0ओ0 संख्या पर निर्गत किया जायेगा जिस पी0पी0ओ0 संख्या द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन मूल रूप से स्वीकृत की गयी है।

13- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/संविधिक संस्थानों/परिषदीय विद्यालयों/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। इन संस्थाओं के पेंशनरों के संबंध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

14- इन आदेशों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन को संशोधन की प्रक्रिया को इस शासनादेश के साथ संलग्न तालिका में दिये गये उदाहरणों से समझाया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,  
अजय अग्रवाल  
सचिव ।

संख्या-23/2017/सा-3-329(1)/दस-2017/308/16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

नील रतन कुमार  
विशेष सचिव ।

**उदाहरण**

**संलग्नक**

**कृपया शासनादेश का प्रस्तर-5 देखें**

क्रमांक	विवरण	प्रथम उदाहरण	द्वितीय उदाहरण	तृतीय उदाहरण	चतुर्थ उदाहरण
1-	सेवानिवृत्ति की तिथि	31-12-1984	31-01-1989	30-06-1999	31-05-2015
2-	सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान अथवा पे बैण्ड) (एवं ग्रेड पे) या दिनांक 01-01-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक की दिनांक 01-01-1986 को प्रकल्पित वेतनमान	975-1660 (चतुर्थ वेतन आयोग)	3000-4500 (चतुर्थ वेतन आयोग)	4000-6000 (पंचम वेतन आयोग)	67000-79000 (छठवों वेतन आयोग)
3-	सेवानिवृत्ति के समय वेतन या दिनांक 01-01-1986 के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिक की दिनांक 01-01-1986 का प्रकल्पित वेतन	1210	4000	4800	79000
4-	पुनरीक्षण के पूर्व दिनांक 01-01-2016 को पेंशन	4191	12600	5424	39500
5-	पुनरीक्षण के पूर्व दिनांक 01-01-2016 को पारिवारिक पेंशन	3500	7560	3500	23700
6-	पुनरीक्षण के पूर्व दिनांक 01-01-2016 को बढी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन (जहाँ लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	39500
7-	अपुनरीक्षित पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर प्राप्त पुनरीक्षित पेंशन	10771	32382	13940	101515

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8-	अपुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर प्राप्त पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन	9000	19430	9000	606909
9-	अपुनरीक्षित बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन में 2.57 का गुणा करने पर अपुनरीक्षित दर पर पारिवारिक पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	101515
10-	दिनांक 01-01-1996 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	3710 (3200-4900)	11300 (10000-15200)	लागू नहीं	लागू नहीं
11-	दिनांक 01-01-2006 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	8910 पे बैंड-1 ग्रेड पे 2000	27620 पे बैंड-3 ग्रेड पे 6600	11330 पे बैंड-1 ग्रेड पे 2400	लागू नहीं
12-	दिनांक 01-01-2016 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित वेतन	23100 (लेवल-3)	71800 (लेवल-11)	29600 (लेवल-4)	205100 (लेवल-15)
13-	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन	11550	35900	14800	102550
14-	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन	9000	21540	9000	61530
15-	प्रथम विकल्प के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102550
16-	अनुमन्य पुनरीक्षित पेंशन (क्रमांक-7 एवं क्रमांक-13 में से जो अधिक हो)	11550	35900	14800	102550

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17-	अनुमन्य पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन (क्रमांक-8 एवं क्रमांक-14 में से जो अधिक हो )	9000	21540	9000	61530
18-	अनुमन्य बढी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन (क्रमांक-9 एवं क्रमांक-15 में से जो अधिक हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102550

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।